संख्या-11/2020 /603 /उन्नीस-2-2020-1061/85

प्रेषक

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 2020

विषयः- स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2020 मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला 74वां स्वाधीनता दिवस समारोह कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए परम्परागत रूप से सादगी, हर्षोल्लास एवं आकर्षक ढंग से मनाया जायेगा।

2- आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है, किन्तु यदि आवश्यक समझा जाये तो व्यावहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

{1} गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई, 2020 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 अगस्त को प्रातः 9:00 बजे सरकारी तथा गैर-सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये तथा झण्डा-अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन हो। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़ियां बाँधकर उसे फहराया जाय।

{2} इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पंथ-निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को बलवती बनाने पर जोर दिया जाये साथ-साथ लोगों को परम्परागत एकता प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित किया जाये। कोविड-19 के चलते इस वर्ष मानव श्रंखला न बनाई जाय।

{3} कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए भारत सरकार तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा समय- समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षण संस्थाओं में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाय। विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से संक्षेप में स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास बताया जाय तथा देश पर शहीद हुए देशभक्तों के जीवन के प्रेरक-प्रसंग दोहराये जायें, जिससे उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ ही शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देने वाले ऑनलाइन कार्यक्रम भी आयोजित किये जायें। शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे। इस महामारी के दौर में सभा आदि करना उचित नहीं होगा।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

{4} इस अवसर पर यह भी सर्वथा उचित होगा कि कोविड-19 के योद्धाओं जैसे चिकित्सकों, स्वास्थ कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों को ऑनलाइन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाय। इसके अलावा कोरोना महामारी से स्वस्थ हुए व्यक्तियों को भी ऑनलाइन आमंत्रित किया जा सकता है।

{5} यह भी उचित होगा कि इस अवसर पर मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने के संदेश का जनमानस में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। इसके लिए विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस तक पहुँचाया जाय।

3- अपरान्ह् में कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए भारत सरकार तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय जिसमें:-

{1} स्वाधीनता की वर्षगांठ पर जन-साधारण को यह भी याद दिलाया जाये कि हमारे अनगिनत देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने जीवन भर संघर्ष करके, अपना सब कुछ न्यौछावर कर जो राजनीतिक स्वाधीनता हासिल की थी, उसकी रक्षा करते हुए आर्थिक व सामाजिक स्वाधीनता लाने का दायित्व अब विशेष तौर पर नई पीढ़ी पर है। इस अवसर पर जन-साधारण को बताया जाये कि सभी समुदायों के महापुरूषों ने एकता, आपसी सद्भाव, भाई-चारे व इंसानियत पर सदैव बल दिया है, अतः इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर उन महानुभावों के कार्यों का भी आदरपूर्वक स्मरण किया जाये, ताकि समाज में इन्सान और इन्सानियत की अहमियत बढ़े।

{2} राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक **'राष्ट्रीय ध्वज'** के महत्व के बारे में आमजन को ऑनलाईन सोषल मीडिया के माध्यम से बताया जाये।

{3} पंथ-निरपेक्षता की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाये कि राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भावना से होता है, घृणा से नहीं, मेल-जोल से होता है, बैर-भाव से नहीं, एक-दूसरे के धर्म, जाति, विचारों व महापुरूषों का आदर करने से होता है, अनादर से नहीं।

4- 15 अगस्त, 2020 को ब्लाक, तहसील तथा जनपद स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में कोविड-19 से संबंधित नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रमों को आयोजित किया जाये।

5- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त, 2020 की रात्रि में सरकारी कार्यालय-भवनों तथा अन्य इमारतों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया जाये।

6- विकास संबंधी शासन की प्राथमिकताओं से जन-मानस को सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान करने के लिए प्रेरित किया जाये। साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से भी आम जनता को विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा अवगत कराया जाय।

प्रदेश सरकार **'सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास' तथा 'आत्मनिर्भर भारत बनाने'** की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ तथा सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कटिबद्ध है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से किसानों, गरीबों, वंचितों, शोषितों एवं उपेक्षित वर्ग के साथ-साथ प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

साफ नीयत सही विकास के संकल्प को साकार कर रही है। राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जन-कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार प्रदेश के आमजन के विकास, उसकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कितनी संवेदनशील है। वर्तमान सरकार मौजूदा चुनौतियों को अवसर में बदल कर प्रदेश का तेजी से विकास कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका संलग्नक परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में जनसाधारण को सोषल मीडिया के माध्यम से अवगत कराया जाए।

यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक विश्वास, सद्भावना व एकता से ही प्रगति कर सकता है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की ऑनलाइन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए लोगों को प्रेरित तथा जागरूक भी किया जाए।

संलग्नक - परिशिष्ट

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या- 11/2020/603(1) /उन्नीस-2-2020-1061/85 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि/ निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रदेश के मा0 उप मुख्यमंत्री/समस्त मा0 मंत्री/मा0राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्य मंत्रीगण के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
2. समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण।
7. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-1/सामान्य प्रशासन विभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

परिशिष्ट

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रमः-

1. जनसमस्या निवारण:-

जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित ''जनता दर्शन'' में प्रदेश के कोने-कोने से आये पीड़ितों /शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इस वक्त कोविड-19 के दृष्टिगत जनता-दर्शन स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत प्राप्त कुल 2,42,55,611 संदर्भों में से 2,38,73,918 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया गया। तहसीलों में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन करते हुए प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही आम जनता एवं अधिकारियों के मध्य सीधा संवाद स्थापित करते हुए प्रतिदिन जनसमस्याओं का अनुश्रवण एवं निस्तारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ किये गये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो रहा है।

2. आस्था को नमन:-

(1) प्रदेश के विभिन्न जिलों में गंगा यात्रा का आयोजन हुआ, इसमें गंगा आरती, गंगा पूजन तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को सुचारू रूप से किया गया।

(2) काशी में देव दीपावली का आयोजन भव्य रूप से सम्पन्न।

(3) अयोध्या में राम की पैड़ी में 404226 दीप जलाकर दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जिसे गिनीजवर्ल्ड रिकार्ड में शामिल।

(4) मथुरा में कृष्णोत्सव का आयोजन।

(5) अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्रतिमा की स्थापना के अन्तर्गत डिजिटल म्यूजियम, इन्टरप्रेटेशन सेन्टर, लाइब्रेरी पार्किंग, फूड प्लाजा, लैण्ड स्केपिंग एवं श्रीराम की प्रतिमा का निर्माण आदि का कार्य।

(6) जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य स्थित देव-देवेश्वर एवं करौना स्थित द्वारिकाधीश मंदिर का विकास कार्य प्रगति पर।

(7) काशी विश्वनाथ कॉरीडोर के विकास का कार्य प्रगति पर।

(8) वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना।

(9) कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए डिजिटल प्लेटफार्म सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर प्रतियोगिता आयोजित कर उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों का प्रचार-प्रसार।

3. कानून व्यवस्थाः-

(1) अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण सृजित कर कानून का राज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों के अन्दर कानून के प्रति भय का वातावरण सृजित करना उ0प्र0 शासन की प्राथमिकता है।

(2) राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था पर जीरो टालरेन्स की नीति अपनाई है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण से सभी प्रमुख त्यौहार मेले आदि सकुशल सम्पन्न। सोशल मीडिया की सक्रियता से भी अपराधों पर नियंत्रण।

(4) प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु साइबर क्राइम थाना लखनऊ व गौतमबुद्धनगर के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक-एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई।

(5) पुलिस के सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जनपद लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में पहली बार पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू। जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

(6) महिला सशक्तीकरण के उददेश्य से प्रचलित पावर एजेण्ट योजना अन्तर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 15000 पावर एजेण्ट बनाये गये। प्रदेश में महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एण्टी रोमियों स्क्वायड का गठन कर संवेदनशील स्थलों की चेकिंग करना, विमेन पावर लाइन 1090 योजना का सुचारू क्रियान्वयन, यू0पी0 112 इण्डिया मोबाइल एप, रात्रि के दौरान सुरक्षा कवच योजना, महिला हेल्प डेस्क, थानों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है।

(7) 567 बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी गयी तथा कारागारों में लोक अदालतों का आयोजन कर इनके माध्यम से 2451 बंदियों को रिहाई का लाभ प्राप्त हुआ।

(8) प्रदेश के कारागारों में बंदियों द्वारा संचालित जेल रेडियो स्थापित कराया गया है। वर्तमान में 26 जेलों में जेल रेडियो सफलतापूर्वक कार्य कर रहें हैं।

(9) कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को तत्परता एवं दृढ़ता से उ0प्र0 पुलिस द्वारा तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराया गया। कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत पूर्ण मनोयोग एवं संवेदनशीलता के साथ शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पुलिस द्वारा अभूतपूर्व कार्यवाही की गई।

(10) लॉकडाउन के दौरान 36 लाख से अधिक श्रमिकों को अन्य प्रदेशों से उ0प्र0 में सकुशल वापस लाया गया।

(11) कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपदों एवं इकाइयों को 17.09 करोड़ रुपये की धनराशि से साफ-सफाई, सुरक्षात्मक उपकरण यथा मास्क, सेनेटाइजर, आईसीएमआर से स्वीकृत पीपीई किट आदि ड्यूटी के दौरान उपलब्ध कराये गये।

4. उद्योगः-

(1) निवेश को प्रोत्साहित करते हुए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 का सफल आयोजन। देश-विदेश के शीर्ष निवेशकों, उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश सम्बन्धी एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित। प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों द्वारा किया गया। द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 65 हजार करोड़ रुपये की 200 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी। परियोजनाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) इज आफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान लागू। प्रदेश में 92.87 प्रतिशत स्कोर के साथ निरन्तर अग्रसर। निवेश मित्र सिंगिल विण्डो वेब पोर्टल सृजित।

(3) बुन्देलखण्ड में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश से डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना का कार्य शुरू। 2.5 लाख से अधिक लोगों के लिए सृजित होंगे रोजगार।

(4) एक जनपद-एक उत्पाद योजनान्तर्गत उत्पाद विशेष के समग्र विकास हेतु मार्जिन मनी योजना, प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, विपणन सहायता योजना तथा कॉमन फैसिलिटी सेन्टर योजना संचालित, जिसके तहत जून माह तक 2040 लाख रुपये का ऋण इकाइयों को वित्त पोषण हेतु उपलब्ध कराया गया।

(5) प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों, बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सोनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारम्परिक हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन, संवर्द्धन तथा उनकी आय में वृद्धि के अवसर सुलभ कराने हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू।

(6) मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र हस्तशिल्पियों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्राविधान। जून माह तक 1337 हस्तशिल्पियों को पेंशन प्रदान की गई।

5. सूचना प्रौद्योगिकीः-

(1) नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित।

(2) विदेशी कम्पनियों हेतु ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में एक इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित।

(3) 150 करोड़ रुपये के निवेश एवं करीब 15 हजार रोजगार संभावनायुक्त मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है।

(4) लखनऊ में 40 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क और देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर।

(5) आईटी सिटी लखनऊ में 485 करोड़ के निवेश से कौशल विकास केन्द्र की स्थापना। इसमें अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है, जिसमें लगभग 4000 साफ्टवेयर कर्मी एवं विकासकर्ता कार्यरत हैं।

(6) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना के तहत 500 सीटों का एक काल सेन्टर लखनऊ में स्थापित, जिसमें वृहद रूप से कोविड-19 हेल्पलाइन के रूप में कार्य किया जा रहा है।

6. जी0एस0टी0:-

(1) वर्ष 2020-21 का वार्षिक लक्ष्य रू0 91568 करोड़। माह जून 2020 तक के प्रगामी लक्ष्य 21614.87 करोड़ रुपये के सापेक्ष 11585.84 करोड़ रुपये का वाणिज्य कर राजस्व प्राप्त हुआ।

(2) रू0 05 करोड़ से अधिक के डीलर को माह फरवरी से अप्रैल 2020 तक के देय कर के साथ रिटर्न जमा करने पर ब्याज़ में 50 प्रतिशत की छूट अर्थात 09 प्रतिशत ब्याज के साथ 24 जून 2020 तथा रू0 05 करोड़ से कम टर्नओवर के डीलर के लिए यही सुविधा 30 सितम्बर 2020 तक प्रदान की गयी है।

(3) प्रदेश में व्यापार कर, बिक्री कर, वैट व मंनोरजन कर के अधिनियम के अन्तर्गत सृजित मांग की अवशेष बकाया जमा हेतु ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना-2020 लागू की गयी है

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जिसे कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी योजना से लाभान्वित हो सकें।

7. किसानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसलेः-

(1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत मार्च 2020 तक कुल 191.17 लाख किसानों को चार किश्तों में 12522.46 करोड़ रुपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तान्तरित।

(2) राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 45.23 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को 25233.48 करोड़ रुपये का फसली ऋण मोचन किया।

(3) कृषि निवेशों पर देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। किसान अपना उत्पाद देश की किसी भी मण्डी में बेचने के लिए स्वतंत्र।

(4) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अन्तर्गत मार्च, 2020 तक 244982 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराया गया।

(5) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 161.69 लाख किसानों को खरीफ एवं रबी में फसल बीमा करते हुए 1388.40 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की गयी।

(6) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए खेत-तालाब योजनान्तर्गत कुल 13645 खेत-तालाबों का निर्माण।

(7) मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किसान समृद्धि आयोग का गठन।

(8) वर्ष 2019-20 में 107468.09 करोड़ रुपये फसली ऋण वितरण।

(9) वर्ष 2019-20 में तथा अद्यतन 227.62 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों का वितरण।

(10) सोलर पम्प स्थापना हेतु 2 व 3 हार्सपावर के पम्प पर 70 प्रतिशत व 5 हार्सपावर पर 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य। प्रदेश में 19483 सोलर पम्प स्थापित।

8. गन्ना किसानों को सुविधाएं:-

(1) वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 47.20 लाख गन्ना किसानों को 101235.47 करोड़ रुपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान।

(2) सरकार द्वारा पहली बार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु चीनी मिलों को सरल ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था। इस हेतु 04 हजार करोड़ रुपये के ऋण का प्राविधान किया गया, जिसके तहत 53 चीनी मिलों को 2916 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान किया गया।

(3) औसत गन्ना उत्पादकता 72.38 से 80.50 मी0टन प्रति हे0 बढ़ जाने से प्रति हेक्टेयर 8.12 मी0टन अतिरिक्त गन्ने का उत्पादन। किसानों की आय में औसत 320 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 25984 रुपये प्रति हे0 की बढ़े उत्पादन के फलस्वरूप वृद्धि।

(4) दो पेराई सत्रों में चीनी परता में 0.85 की वृद्धि हुई। औसत चीनी परता में वृद्धि से 9.14 लाख टन अतिरिक्त चीनी का उत्पादन हुआ।

(5) पेराई सत्र 2019-20 में चीनी मिलों द्वारा रिकार्ड 1118 लाख टन गन्ने की पेराई कर रिकार्ड 126.42 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया, जो देश के कुल चीनी उत्पादन का 47 प्रतिशत है। यह पेराई एवं चीनी उत्पादन प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) बन्द पड़ी चीनी मिल पिपराइच (गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (बस्ती) के स्थान पर 5000 टी0सी0डी0 की नई चीनी मिले और 27 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना।

(7) कोविड-19 के अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रदेश के 91 चीनी मिलों द्वारा सेनेटाईजर का उत्पादन करने के लिए सरकार ने लाइसेन्स दिए। मिलों द्वारा प्रतिदिन 590000 ली0 से अधिक सेनेटाईजर का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादित सेनेटाईजर का प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है।

9. खाद्य एवं रसद विभाग -

(1) कोविड-19 महामारी के फैलाव से बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान गरीब, मजदूर श्रमिक, कामगार आदि परिवारों को खाद्यान्न की कमी न हो, इस हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आच्छादित लाभार्थियों को माह अप्रैल, मई तथा जून 2020 में नियमित वितरण के अतिरिक्त प्रति यूनिट 05 किलोग्राम चावल तथा प्रति परिवार को 01 किलोग्राम चना निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत तीनों माह के 9.49 करोड़ राशन कार्डों पर 19.74 लाख मी0टन चावल तथा 0.93 लाख मी0टन चने का वितरण किया गया।

(2) कोविड-19 के अन्तर्गत आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत कुल 285539 प्रवासियों को मई, जून 2020 में 05 किलोग्राम खाद्यान्न, 01 किलोग्राम चना निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) प्रदेश के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तःजनपदीय राशन कार्ड पोर्टबिलिटी तथा 'वन नेशन वन राशन' कार्ड योजना के अन्तर्गत प्रदेश में नेशनल पोर्टबिलिटी की सुविधा लागू। जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 के कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से तथा अन्य राज्यों के कार्डधारकों द्वारा उ0प्र0 से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकेगा।

(4) प्रदेश के 8988 से अधिक निःशक्त जनों को उनके आवास पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।

(5) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 1925 रुपये प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए रबी विपणन वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूँ खरीद के लिए 5831 क्रय केन्द्रों पर कुल 35.76 लाख मी0टन गेहूँ खरीद की गई। 663810 किसानों को 6382 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया। वर्ष 2019-20 में धान खरीद लक्ष्य से अधिक 56.57 लाख मी0टन खरीद की गई।

(6) कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की अवधि में उज्ज्वला योजना के तहत 2,45,62,703 निःशुल्क रसोई गैस सिलेन्डर की आपूर्ति की गई।

10. नगर विकास:-

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में आवास विहीन लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा 15,10,347 आवास स्वीकृत, 8,75,793 आवासों की जियो टैंगिंग/ ग्राउण्डिंग एवं निर्माण कार्य प्रगति पर, जिसमें 4,78,521 आवास पूर्ण।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उत्तर प्रदेश कुल स्वीकृत आवास एवं लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास घटक में पूरे देश में प्रथम स्थान पर।

(3) अटल नवीकरण एवं शहरी रुपान्तरण मिशन (अमृत) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 60 शहर आच्छादित।

(4) शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के अन्तर्गत 148 परियोजनाएं स्वीकृत, 103 परियोजनाएं पूर्ण, 45 पर निर्माण कार्य प्रगति पर।

(5) कान्हा गौशाला-बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं का पुनर्वास।

11. जलशक्ति:-

(1) वर्तमान सरकार के विगत तीन वर्षों में 334 परियोजनाएं पूर्ण।

(2) सिंचाई विभाग की 14 परियोजनाएं बाणसागर नहर परियोजना, पहाड़ी बांध, जमरार बांध, पहूंज बांध, गुण्टा बांध, पथरई बांध, लहचूरा बांध, मौदहा बांध, रसिन बांध, लखेरी बांध, बण्डई बांध, जाखलौन पम्प नहर, जाखलौन पम्प नहर पर 2.50 मेगावाट क्षमता व 3.42 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लाण्ट परियोजनाएं पूर्ण होने से 2.67 लाख हे0 सिंचन क्षमता के सृजन से 2.35 लाख कृषक लाभान्वित।

(3) वित्तीय वर्ष 2020-21 में 12 परियोजनाएं सरयू नहर, अर्जुन सहायक, मध्य गंगा, उ0प्र0 वॉटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना, मसगांव एवं चिल्ली स्प्रिंकलर, कुल पहाड़ स्प्रिंकलर, सहजाद बांध, भौरट बांध, भावनी बांध, रतौली वीयर, कचनौदा बांध, उमर हट पम्प नहर परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित, जिससे 17.76 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी एवं 43.38 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।

(4) वर्ष 2019-20 में 46220 किलोमीटर रजबाहों एवं अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई हुई।

(5) नहरों, नलकूपों से 2019-20 में 8625.15 हजार हेक्टेयर भूमि का सिंचन।

(6) वर्ष 2019-20 में कुल 2409.64 करोड़ रुपये की लागत से 247 बाढ़ परियोजनाओं पर कार्य शुरू अब तक 149 परियोजनाएं पूर्ण तथा 98 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर।

(7) अयोध्या स्थित रामजी की पैड़ी पर अबिरल जल प्रवाह हेतु संचालित परियोजना पूर्ण।

(8) प्रदेश में 1882 नलकूपों का निर्माण कर 94075 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन, जिससे 92100 कृषक परिवार लाभान्वित।

(9) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे से निपटने हेतु 75 राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण, 33 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण, 20 प्रतिशत अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था, 477 तालाब पोखरों में जलभराव किया गया।

12. नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग:-

(1) नमामिगंगे परियोजना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की नदियों को प्रदूषणमुक्त करने के लिए 44 सीवरेज संबंधी परियोजनायें जिनकी लागत 10078.25 करोड़ रु0 स्वीकृत है, जिनमें 16 परियोजनाएं पूर्ण, 21 का कार्य प्रगति पर तथा 07 परियोजना प्रक्रियाधीन। नमामिगंगे पद यात्रा बिजनौर से बलिया तक 1398 किलोमीटर करते हुए 27 जिले, 21 नगर निकाय, 1038 ग्राम पंचायतों में लगभग 7.83 करोड़ लोगों से जनसम्पर्क कर निर्मल एवं अविरल गंगा के प्रति उन्हें जागरूक किया गया।

(2) नीर निर्मल परियोजना (विश्व बैंक सहायतित) के अन्तर्गत 253 पाइप पेयजल योजना का कार्य पूर्ण।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) राज्य ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत निर्माणाधीन 69 योजनाओं में 06 पाइप पेयजल योजना पूर्ण। प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 72 परियोजनाएं पूर्ण। बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत 30 पेयजल योजना के कार्य पूर्ण।

(4) मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना के अन्तर्गत 71.50 करोड़ रुपये की लागत से 28041 विद्यालयों में आर0ओ0 लगाने की योजना प्रारम्भ।

(5) वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 'हर घर नल' 30 जून, 2020 को पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु 3300 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित।

(6) निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में 327447 निःशुल्क बोरिंग पूर्ण। 3.84 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन।

13. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण:-

(1) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत 05 क्लस्टर जनपद मथुरा, बागपत, बाराबंकी, लखनऊ एवं रायबरेली हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत।

(2) ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की सुविधा के तहत अब तक 51465 कृषक लाभान्वित।

(3) फल, सब्जियों की क्षति को कम करने के उद्देश्य से 557 आधारभूत सुविधाएं विकसित।

14. अवस्थापना सुविधाओं का विकास:-

(1) पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए 340.824 किमी0 लम्बे 06 लेन चैड़े एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य प्रगति पर। इसके निर्माण से लखनऊ, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ तथा जनपद गाजीपुर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। एक्सप्रेस-वे के आसपास उद्योगों, शिक्षण संस्थाओं तथा व्यावसायिक केन्द्रों का विकास होगा।

(2) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारॅिडोर परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर।

(3) 297 किमी0 लम्बे बुन्देलखण्ड लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर।

(4) 92 किमी0 लम्बे गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर।

(5) मेरठ से प्रयागराज तक 600 किमी0 लम्बे गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय।

(6) प्रदेश में 1334 हे0 में नोएडा इण्टर नेशनल ग्रीनफील्ड (जेवर) व कुशीनगर एयरपोर्ट का कार्य प्रगति पर।

15. ऊर्जा:-

(1) प्रदेश के सभी परिवारों को विद्युत सुलभ कराने के लिए ''पावर फार ऑल'' के तहत अप्रैल 2017 से अब तक 1.28 करोड़ से अधिक घरों का विद्युत संयोजन।

(2) विद्युत उत्पादन लागत में 0.98 रु0 प्रति यूनिट की कमी से प्रदेश में 933 करोड़ रु0 की बचत। पहली बार उपभोक्ताओं को स्वयं विद्युत बिल सृजित करने तथा भुगतान इंटरनेट से करने की सुविधा।

(3) प्रदेश के 88 खण्डों में कुल 8.83 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 598 ग्रामीण फीडरों को अलग करने का कार्य सम्पन्न।

(5) सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति जारी। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने पर शतप्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट। इसके अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10700 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। 1535 मेगावाट के रु0 7500 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत।

(6) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना में चयनित राजस्व ग्रामों में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हेतु 13791 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना।

(7) सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश के दूरस्थ एवं दुर्गम ग्रामों/मजरों के अविद्युतीकृत घरों में 42702 सोलर संयंत्र स्थापित एवं 17398 संयंत्रों की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रगति पर।

(8) कृषि विभाग के सहयोग से विभिन्न क्षमताओं के 29668 सोलर पम्प सिंचाई की स्थापना।

16. श्रम एवं सेवायोजन विभाग:-

(1) प्रदेश में कोराना संकट के समय वापस लौटे कामगारों/श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन।

(2) बाल श्रम उन्मूलन हेतु 20 जिलों के 1097 ग्राम पंचायतों/शहरी वार्डों में नया सवेरा योजना के अन्तर्गत 23482 बाल श्रमिकों का पुनर्वास कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया।

(3) कारखानों में 10 वर्ष के नवीनीकरण वैधता के साथ लाइसेन्स जारी करने की सुविधा।

(4) बाल श्रमिक विद्या योजना में 08-18 आयु वर्ग कामकाजी बच्चों/किशोर-किशोरियों की आय की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था के तहत कृषि, गैर-कृषि, स्वरोजगार, गृह आधारित प्रतिष्ठान, घरेलू कार्य व किसी प्रकार का भी अन्य श्रम सम्मिलित किया गया है।

(5) प्रदेश के 18 मण्डलों में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने उद्देश्य से अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का अभूतपूर्व निर्णय।

(6) कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 03 लाख रुपये एवं आंशिक दिव्यांगता पर 02 लाख रुपये की सहायता। श्रमिकों के कल्याणार्थ 18 योजनाएं संचालित।

(7) प्रवासी कामगारों एवं अन्य अपंजीकृत श्रमिकों का पंजीकरण कराकर इनकी स्किल मैपिंग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सेवामित्र प्लेटफार्म नाम से नयी एप्लीकेशन विकसित करके, इसमें 3249638 श्रमिक पंजीकृत किये गये।

(8) कोविड-19 महामारी के दौरान पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के भरण-पोषण के लिए 'आपदा राहत सहायता योजना' से रु0 1000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद।

17. शिक्षा:-

(1) कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दृष्टिगत स्कूल बन्द होने से प्रभावित शैक्षिक सत्र-2019-20 को नियमित करने के लिए उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज तथा उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ के कक्षा 06, 07, 08, 09 एवं 11 के समस्त विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्कूल बन्दी के चलते 01 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ हो रहे शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यार्थियों के लिए 20 अप्रैल, 2020 से व्हाट्सएप, वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण प्रारम्भ।

(3) कक्षा 01 से 08 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, दो जोड़ी यूनीफार्म, स्कूल बैग, स्वेटर एवं एक जोड़ी जूता, ड्रेस, दो जोड़ी मोजों का वितरण। कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र-छात्राएं मध्यान्ह भोजन योजना के तहत आच्छादित।

(4) कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों का आधार लिंक आनलाइन अग्रिम पंजीकरण हुआ। बोर्ड परीक्षा सम्पादन, एवं अन्य कार्यों में सुधार के लिये आनलाइन केन्द्र निर्धारण, पंजीकरण, मान्यता, डुप्लीकेट अंकपत्र/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

(5) अरबी एवं फारसी मदरसों में अध्ययनरत् छात्रों को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराने के उददेश्य से एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम लागू।

(6) प्रदेश में 193 नये इण्टर कालेजों का संचालन, 55 नये इण्टर कालेजों की स्वीकृति तथा 30 बालिका छात्रावासों का संचालन।

(7) नये 03 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु नगरीय क्षेत्र में भूमि का मानक अब 20 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 50 एकड़।

(8) कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में शैक्षणिक सत्र-2020-21 को प्रारम्भ किये जाने एवं अध्ययन-अध्यापन की गतिविधियों तथा शैक्षणिक कैलेण्डर के निर्धारण के संबंध में शासनादेश जारी। ई-कन्टेन्ट हेतु पोर्टल विकसित कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये जिसका प्रयोग विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है। दूरदर्शन एवं इग्नू द्वारा शुरू किये गये 04 निःशुल्क शैक्षिक चैनलों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित स्वयंप्रभा के अन्तर्गत 32 निःशुल्क चैनलों का प्रसारण किये जाने के संबंध में समयसारिणी/पाठ्यक्रम की जानकारी प्रसारित।

18. समाज कल्याण:-

(1) वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनु0 जाति के पूर्वदशम् छात्रवृत्ति में 23450 छात्र/छात्राओं एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 98000 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त।

(2) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी वर्गों के निर्धन परिवारों की कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराने हेतु शासन द्वारा 25000 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त।

(3) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को चालू वित्तीय वर्ष में 17,500.00 लाख रुपये, दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु कुल 1,20000 लाख रु0 की धनराशि प्राविधानित। छात्रावास हेतु 1500 लाख रु0 का प्राविधान।

(4) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ-लेबल सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 1500 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान। पिछड़े वर्ग के गरीबों की पुत्रियों के विवाह हेतु 15000.00 लाख रु0 का प्राविधान। 12334 लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित।

(5) मदरसों में एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम लागू।

(6) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति सुलभ कराने के लिए अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय दो लाख रुपये की गई। पूर्व दशम छात्रवृत्ति में 128494

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

छात्र/छात्राएं लाभान्वित। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 407906 छात्र/छात्राएं लाभान्वित।

(7) अल्पसंख्यकों के गरीबों की पुत्रियों के विवाह हेतु 3700 लाख रु0 का आवंटन।

(8) प्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले गरीब दिव्यांगों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण हेतु 62,333 दिव्यांगों को वितरित कराने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा। दिव्यांगों को शिक्षा प्राप्त करने एवं आत्म निर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित।

(9) कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत रुपये 2500 प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10,728 दिव्यांगजन लाभान्वित।

(10) दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु रु0 20,000 की धनराशि दुकान निर्माण हेतु तथा दुकान संचालन हेतु रु0 10,000 का प्राविधान। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1060 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य।

19. महिला एवं बाल विकास:-

(1) पति की मृत्यु से निराश्रित हो गई महिलाओं को वर्ष 2020-21 में 26.07 लाख रु0 500 प्रतिमाह के साथ ही विशेष पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत रु0 1000 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की गई।

(2) बालिकाओं के प्रति आमजन को सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु ''मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना'' लागू, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी को रु0 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। इस योजना में अब तक 4.51 लाख पात्र लाभान्वित।

(3) बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ योजना प्रदेश में संचालित। स्कूल छोड़ चुकी 29235 किशोरी बालिकाओं को स्कूल शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया।

20. राजस्व:-

(1) कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्यस्तरीय एकीकृत आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना। 34 लाख 23 हजार प्रवासियों की स्किल मैपिंग कराकर प्रवासी श्रमिकों के सम्पूर्ण विवरण संबंधित विभागों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भेजे गये। प्रदेश में आये 13,59,443 श्रमिक परिवारों को होम क्वारंटाइन की अवधि अर्थात 15 दिनों के उपयोग हेतु राशन किट वितरित की गई। 10,48,166 प्रवासी श्रमिक परिवारों को डीबीटी के माध्यम से रु0 1000 की सहायता उपलब्ध करायी गयी।

(2) मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने के प्राविधान के अन्तर्गत 15841 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

(3) एंटी भू-माफिया के अन्तर्गत हुये अवैध कब्जे के लिए प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रदेश स्तर पर 4 स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन। प्रभावी अनुश्रवण हेतु एंटी भू-माफिया पोर्टल विकसित। जिसके अनुसार प्रदेश में कुल 69,951 हे0 भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया तथा 22,677 राजस्व वाद, 827 सिविल वाद व 4061 एफआईआर दर्ज करायी गयी हैं।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

21. परिवहन:-

(1) कोविड-19 के बचाव के दृष्टिगत लॉकडाउन में परिवहन निगम की बसों द्वारा 7.40 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपद तक भेजा गया। शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करते हुए बस स्टेशनों व बसों का संचालन किया जा रहा है।

(2) निर्भया फण्ड योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए 52 पिंक सेवाएं संचालित है, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु बसों में सीसीटीवी कैमरे तथा पैनिक बटन लगाने के साथ ही 40 इण्टरसेप्टर वाहन की व्यवस्था। सेवा का समन्वय यू.पी. डायल 112 से भी है।

(3) दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित संचालन के दृष्टिगत चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण के साथ ही ''ब्रेथ एनेलाइजर'' द्वारा नशे की भी जांच करायी जा रही है।

(4) निगम द्वारा पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेन्द्र नगर, पोखरा व नेपालगंज के लिए बस सेवा का संचालन।

(5) रक्षाबन्धन पर्व वर्ष 2019 में 12.04 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई।

22. सड़क एवं यातायात योजना (लोक निर्माण विभाग):-

(1) वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 11,259 किमी. लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण। अब तक लगभग 12,600 किमी0 लम्बाई में मार्गों का चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया।

(2) प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु खिलाड़ियों के निवास/ग्राम तक मार्ग का निर्माण/मरम्मत कर मेजर ध्यान चंद पथ के रूप में विकसित करने की अभिनव योजना लागू। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 16 खिलाड़ियों के निवास/ग्रामों के मार्गों के निर्माण/मरम्मत हेतु चयनित।

(3) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत अब तक 14.35 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 29 किमी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण करते हुए 32 कार्य पूर्ण किये गये। इस योजना के तहत 102.48 करोड़ रुपये की लागत से 156 मजरों में 178 किमी0 लम्बाई के 144 कार्य पूर्ण।

(4) 93 दीर्घ सेतु पहंुच मार्ग सहित पूर्ण तथा 35 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण का कार्य पूर्ण कर आवागमन हेतु चालू। 234 लघु सेतुओं को पहुंच मार्ग सहित पूर्ण किया गया।

(5) वैश्विक महामारी कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों/निर्धनों एवं बेसहारा व्यक्तियों को लोक निर्माण विभाग द्वारा जन-सहयोग से कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 265880 भोजन पैकेट्स एवं 116167 राशन सामग्री के पैकेट्स का प्रदेश के सभी जनपदों में वितरण किया गया। लॉकडाउन के पश्चात प्रवासी/अप्रवासी श्रमिकों को उनकी आजीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अभियान चलाकर 112000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराये गये।

(6) डा॰ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना के तहत प्रदेश के 10वीं व 12वीं कक्षा के (टा॰प-20) मेधावी छात्र/छात्राओं के निवास स्थल/स्कूलों तक सड़क निर्माण की योजना संचालित।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी जनपदों के प्रत्येक खण्डों में एक-एक हर्बल मार्ग विकसित। अब तक 69 जनपदों में हर्बल मार्ग का चयन करते हुए 24908 हर्बल पौधे रोपित किये।

(8) सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग कर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, बाराबंकी, शाहजहांपुर, मैनपुरी एवं बदायूं में 14 प्लास्टिक मार्ग जिनकी लम्बाई 21.60 किमी0 व लागत 8.39 करोड़ के सापेक्ष अब तक 8.25 करोड़ रुपये से 20.21 किमी0 लम्बाई के 13 कार्य पूर्ण एवं शेष एक निर्माण कार्य प्रगति पर।

23. पंचायतीराज:-

(1) स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 39 लाख 28 हजार 625 व्यक्तिगत शौचालय (इज़्जतघर) का निर्माण कराया गया।

(2) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए शौचालय निर्माण की राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक प्रगति में उ0प्र0 प्रथम स्थान पर।

(3) बेस लाइन 2012 के अनुसार प्रदेश में 1.62 करोड़ परिवार शौचालय की सुविधा से आच्छादित।

(4) प्रदेश के समस्त जनपद ओडीएफ घोषित।

(5) 346 ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किया गया।

24. पर्यटन:-

(1) अयोध्या को पर्यटन के विश्वपटल पर विकसित करने की वृहद योजना पर कार्य प्रारम्भ।

(2) अयोध्या में दीपोत्सव आयोजन के तहत छोटी दीपावली के दिन 04 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया। काशी में भी देव दीपावली का आयोजन हुआ।

(3) वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिरों पर आधारित पावन पथ वाराणसी वेबसाइट का निर्माण।

(4) स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, हेरिटेज सर्किट एवं स्प्रिचुएल सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, महाभारत सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट एवं जैन सर्किट का चिन्हांकन कर समेकित पर्यटन विकास का कार्य प्रगति पर।

(5) प्रमुख पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने हेतु हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर। प्रदेश के तीन स्थानों विंध्याचल, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, बरसाना (मथुरा), चित्रकूट में रोप वे का पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर।

(6) प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से 371.43 करोड़ रु0 से घरेलू पर्यटन स्थलों का विकास स्थानीय जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करना एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने पर विशेष बल। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थलों का पर्यटन विकास।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) ब्रज तीर्थ विकास परिषद की भांति अयोध्या धाम, विन्ध्यवासिनी धाम, शुक्रतीर्थ, चित्रकूट धाम, नैमिषारण्य तीर्थ तथा देवी पाटन धाम के लिए भी विकास बोर्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ।

(8) 'मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना' के तहत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के किसी न किसी स्थल के पर्यटन विकास का निर्णय। 44 पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन।

(9) गत वर्ष प्रदेश में 5406.00 लाख पर्यटक आये जिनमें 47.45 लाख विदेशी पर्यटक है। जिसमें कुम्भ मेला-2019 में आये कुल पर्यटक/विजिटर्स/श्रद्धालु 2405.00 लाख (भारतीय पर्यटक 2394.70 लाख एवं विदेशी पर्यटक 10.30 लाख) भी सम्मिलित हैं।

25. ग्राम्य विकास व पशुधन:-

(1) मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत समाज की मुख्य धारा से वंचित तथा सबसे अंतिम पायदान पर स्थित परिवारों के कुल 57997 लाभार्थियों को आवास मुहैया कराया गया।

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 25 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष 24.45 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। 1.33 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिन का रोजगार दिया गया ।

(3) कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन अवधि के दौरान लाखों की संख्या में प्रदेश में वापस आये प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की व्यवस्था करने हेतु मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मनरेगा के अन्तर्गत अप्रैल, 2020 से अब तक 84,12,667 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिनमें 10 लाख प्रवासी श्रमिक हैं। जो गत वर्ष की तुलना में 04 गुना अधिक है। श्रमिकों को 3337.38 करोड़ रुपये मजदूरी का भुगतान करके तालाबों, नदियों का पुनरोद्धार, चेकडैम, कूपों, मार्ग आदि के 2.32 लाख निर्माण कार्य कराये गये।

(4) प्रवासी परिवारों के 29,600 महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों से आच्छादित करते हुए आजीविका संवर्द्धन संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि।

(5) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत इस वर्ष अब तक 178.52 किमी0 सड़क निर्मित।

(6) प्रदेश में 4383 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल स्थापित, इनमें 421738 गोवंश संरक्षित। 145 कान्हा उपवन में भी 33363 गोवंश संरक्षित किये गये।

(7) निराश्रित/बेसहारा गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन में सामाजिक सहभागिता के तहत 55827 गोवंश वितरित कर 28255 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।

26. वन एवं पर्यावरण:-

(1) मिशन वृक्षारोपण-2020 के अन्तर्गत वन विभाग एवं 26 राजकीय विभागों द्वारा स्वयं व व्यापक जनसहभागिता से 05 जुलाई, 2020 को एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौध रोपित कर ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित करते हुए विश्व कीर्तिमान स्थापित।

(2) प्रदेश में गंगा किनारे अवस्थित 27 जनपदों में दोनों तटों से 10 किमी0 के अन्दर 6000 हे0 क्षेत्रफल में 67 लाख से अधिक तथा गंगा, यमुना की 40 से अधिक सहायक नदियों के दोनों तटों पर 2100 हे0 क्षेत्र में 1.5 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किये गये।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

27. खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकास:-

(1) खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं के सृजन की कार्यवाही। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में लोकप्रिय/प्रचलित खेलों का आयोजन। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता प्रदेश के 268 खिलाड़ियों को 1.07 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित।

(2) ग्रामीण युवाओं को खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 81 ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना।

(3) उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा पहली बार इस वर्ष व्यापक स्तर पर प्रयास करते हुये 2 लाख से अधिक शिल्पकारों को प्रशिक्षित करते हुए लाभान्वित किया गया।

28. सूचना विभाग:-

(1) प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे जन कल्याणकारी एवं विभिन्न कार्यक्रमों, उपलब्धियों पर आधारित 07 दिन 07 पृष्ठ की ई-संदेश पत्रिका का प्रति सप्ताह प्रकाशन।

(2) लोकभवन में मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं, नीतियों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार।

(3) वर्तमान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी, विकासपरक, रोजगार परक एवं महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों का होर्डिंग, एलईडी, विज्ञापन, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य, लेख, फीचर लेख, सफलता की कहानी, प्रेस विज्ञप्तियों, फोटो, फिल्म निर्माण आदि विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(4) कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों तथा कोरोना की रोकथाम हेतु विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा आम जनमानस में जागरूकता लाने का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

29. खादी तथा ग्रामोद्योग:-

(1) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में अब तक 1227 इकाइयां स्थापित करते हुए 24157 लोगों को रोजगार।

(2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 4626 इकाइयां स्थापित करते हुए 51684 लोंगों को रोजगार।

(3) आॅनलाइन मार्केटिंग के परिप्रेक्ष्य में खादी की नई डिजाइनों एवं गुणवत्ता के लिए निफ्ट से तकनीकी सहयोग।

(4) देश में उ0प्र0 प्रथम राज्य है जहां सौर ऊर्जा आधारित चर्खों के संचालन को मान्यता प्रदान करते हुए अनुदान की सहायता उपलब्ध करायी गयी।

(5) प्रदेश में मिट्टी के कार्य करने वाले शिल्पियों के परम्परागत व्यवसाय को नवाचार के माध्यम से संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु 'उ0प्र0 माटी कला बोर्ड' का गठन। 2514 को कुम्हारी चाक वितरित। इस वर्ष 2700 कुम्हारी चाक का हो रहा है वितरण।

30. भूतत्व एवं खनिकर्म:-

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(1) बालू/मौरम के खनन पट्टाधारकों के त्रैमासिक किश्तों से मासिक देय किश्त की सुविधा प्रदान करते हुए 01 जून, 2020 से देय किश्तों को अग्रिम रूप से आॅनलाइन के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध।

(2) प्रदेश में उपखनिजों के भण्डारण स्तर से गन्तव्य स्थान पर परिवहन हेतु मुद्रित परिवहन प्रपत्र के स्थान पर 01 जूलाई 2020 से उपखनिजों का परिवहन, इलेक्ट्रानिक जनित ई-फार्म-सी द्वारा किये जाने की व्यवस्था लागू।

31. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण:-

(1) प्रदेश में 32 राजकीय कोविड-19 परीक्षण लैब स्थापित कर इन लैब्स में एंटीजन टेस्ट, आर0टी0पी0सी0आर0 तथा ट्रूनेट टेस्ट की सुविधा प्रदान की गई।

(2) नॉन कन्टेनमेंट जोन में 68ए350 टीमों के माध्यम से 19ए34ए498 कार्य दिवसों में 4ए53ए41ए522 घरों का सर्वेक्षण किया गया।

(3) कोविड 2019 हेतु 1,51,212 आइसोलेशन बेड्स तथा 39,632 क्वारंटाइन बेड्स की व्यवस्था की गयी । प्रदेश में कुल 16505 वेन्टीलेटर बेड है, जिनमे से 1466 कोविड हेतु आरक्षित रखे गए हैं।

(4) प्रदेश में कोविड बीमारी के निदान हेतु बेहद तीव्र गति से कार्य करते हुए कोविड जाँच की सुविधाओं में निरंतर प्रगति की गयी है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन लगभग एक लाख व्यक्तियों की कोविड जाँच संभव हो पाई है। दिनाँक 28 जुलाई तक प्रदेश में कुल 21,20,843 व्यक्तियों की जाँच कोविड हेतु की जा चुकी है। मार्च 2020 में मात्र 4355 कोविड जांचों के सापेक्ष माह जुलाई 2020 में अब तक 14 लाख से अधिक व्यक्तियों की जाँच की जा चुकी है .

(5) पूरे देश में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने वाले 14.31 करोड़ लोंगों में से सर्वाधिक 2.44 करोड़ उत्तर प्रदेश से।

(6) प्रदेश में 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा प्रारम्भ। अब तक 1.5 लाख से अधिक मरीज हुए लाभान्वित। 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 2270 एम्बुलेंस क्रियाशील। 108 एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 2200 एम्बुलेंस क्रियाशील, अब तक 1.34 करोड़ से अधिक रोगी लाभान्वित।

(7) दिमागी बुखार पर महत्वपूर्ण नियंत्रण। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के इस गोरखपुर माॅडल को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही है सराहना।

(8) गोरखपुर एवं रायबरेली में एम्स का निर्माण तथा रायबरेली में शिक्षण कार्य प्रारम्भ।

(9) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजनान्तर्गत प्रदेश के 1.18 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। 75.88 लाख गोल्डेन कार्ड्स बनाये गये।

(10) वर्ष 2011 की जनगणना के सूची में जिन 10,11,980 गरीब परिवारों का नाम नहीं जुड़ सका था, ऐसे वंचित परिवार के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान संचालित कर 05 लाख रुपये तक सूचीबद्ध चिकित्सालयों में इलाज कराने की व्यवस्था की गयी।

(11) प्रदेश में विशेष संचारी रोग, दिमागी बुखार के कारण होने वाले मृत्यु दर में भारी कमी आयी। जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग से बचाव का विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण किया गया। समस्त जनपदों में रोटा वायरस वैक्सीन एवं मीजिल्स रूबेला वैक्सीन को

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियमित टीकाकरण में शामिल करते हुए 7.57 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया। बाल मृत्यु में भारी कमी।

(12) अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना। मा0 प्रधानमंत्री द्वारा 50 एकड़ भूमि में बनने वाले चिकित्सा विश्वविद्यालय का 25 दिसम्बर 2019 को शिलान्यास।

(13) प्रदेश के समस्त जनपदों के चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध तथा जनपदीय चिकित्सालयों में निःशुल्क सी0टी0 स्कैन सेवाएं उपलब्ध।

(14) 'प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना' के तहत अब तक 24.64 लाख लाभार्थियों को रु0 890.84 करोड़ की धनराशि वितरित। नवजात शिशुओं की उचित देखभाल हेतु कंगारु मदर केयर योजना क्रियाशील।

(15) गरीबों के निःशुल्क इलाज हेतु मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष का गठन।

32. कोविड-19 वैश्विक महामारी के बचाव हेतु प्रदेश सरकार द्वारा किये गये विशेष कार्य:-

(1) एक दिन में 01 लाख से अधिक कोविड जांच करके उत्तर प्रदेश, देश का दूसरा राज्य बना।

(2) मुख्यमंत्री हेल्प लाइन योजना के तहत 500 सीटों का एक कॉल सेन्टर लखनऊ में स्थापित, जिसके द्वारा वृहद रूप से कोविड-19 हेल्प लाइन के रूप में कार्य किया जा रहा है।

(3) जी0एस0टी0 विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में आमजन को आवाश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जनपद में डोर-टू-डोर डिलीवरी करने वाले व्यापारियों को चिन्हित करके सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई।

(4) गन्ना विभाग द्वारा कोविड-19 के अन्तर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रदेश के 91 चीनी मिलों द्वारा सेनेटाइजर का उत्पादन करने के लिए सरकार ने लाइसेन्स दिये। मिलों द्वारा प्रतिदिन 5,98,000 ली0 से अधिक सेनेटाइजर का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादित सेनेटाइजर का प्रदेश सहित देश के अन्य प्रदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है।

(5) पर्यटन विभाग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत डिजिटल प्लेटफार्म सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम एवं यू-ट्यूब पर प्रतियोगिता आयोजित कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों का प्रचार-प्रसार किया गया।

(6) नगर विकास विभाग द्वारा कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण दुकानें बन्द होने पर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स "आत्म निर्भर स्वनिधि योजना" प्रारम्भ। जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तपोषित शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः कार्य प्रारम्भ करने हेतु 07 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर 12 मासिक किश्तों पर 10 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध।

(7) वैश्विक कोरोना वायरस के देश और प्रदेश में फैलाव को रोकने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल संज्ञान लेकर प्रदेश स्तर पर अनुश्रवण हेतु उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम-11 का गठन कर प्रतिदिन समीक्षा आरम्भ कर दी।

(8) पूरे देश के 20 राज्यों से उ0प्र0 के लगभग 37 लाख प्रवासी श्रमिक/कामगारों को प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गयी रेलगाड़ियों, बसों व अन्य साधनों से प्रदेश में सुरक्षित वापस

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

लाये गये। अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी बसें भेजकर उनके गृह जनपद तक पहुंचाया गया।

(9) प्रदेश के ईंट भट्ठा श्रमिकों को विशेष ट्रेनों से सकुशल उनके गृह प्रदेश भेजने की व्यवस्था की गई।

(10) प्रधानमंत्री ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत गरीबों के कल्याण के लिए 20 हजार करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। जिसके माध्यम से प्रदेश के गरीबों, श्रमिकों, पटरी दुकानदारों, प्रवासी श्रमिकों, कामगारों व जरूरतमंदों को मदद पहुंचायी जा रही है।

(11) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को दो बार मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।

(12) उ0प्र0 के श्रमिकों/कामगारों ठेला, खोमचा, रहेड़ी लगाने वाले या दैनिक कार्य करने वाले सभी लोंगों को 1000 रुपये का भरण-पोषण। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों को भी दो-दो बार भरण पोषण भत्ता दिया गया है।

(13) अब तक 01 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रमिकों/कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा गया।

(14) कोविड-19 के दौरान 03 करोड़ 56 लाख प्रधानमंत्री जन-धन खातों में 05-05 सौ रुपये की धनराशि भेजी गयी।

(15) अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारम्भ एवं दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के 3484 लाभार्थियों के खातों में 17 करोड़ 42 लाख रुपये की धनराशि अंतरित।

(16) कार्यस्थल पर थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था तथा सोशल डिस्टैंसिंग का अनुपालन करते हुए कार्य/निर्माण कार्य आदि किये जाने के निर्देश।

(17) लॉकडाउन के पश्चात प्रवासी/अप्रवासी श्रमिकों को उनकी आजीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अभियान चलाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा 1,12,000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(18) सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की 7,95,854 औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील, जिनमें 49.73 लाख श्रमिक कार्यरत। पीपीई किट/मास्क, दवा, मेडिकल उपकरण निर्माण की 414 ईकाइयां क्रियाशील।

(19) निर्माण कार्यों से जुड़े 18.20 लाख श्रमिकों, नगरीय क्षेत्र के 8.91 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र के 6.74 लाख निराश्रित श्रमिकों को 01-01 हजार रुपये प्रतिव्यक्ति के हिसाब से कुल 33.85 लाख व्यक्तियों को अब तक प्रथम किश्त के रूप में कुल 338.45 करोड़ रुपये का वितरण। निर्माण कार्य से जुड़े हुए 16.89 लाख श्रमिकों को द्वितीय किश्त का भी भुगतान।

33. विशेष:- उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में नम्बर एक बना।

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 14.61 लाख आवास बनाकर उ0प्र0 का देश में प्रथम स्थान।

(2) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत देश में अग्रणी।

(4) सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना में उ0प्र0 देश में प्रथम।

(5) अयोध्या में छोटी दीपावली के दिन आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 04 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वल्र्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।

(6) ई-टेन्डरिंग प्रणाली में उ0प्र0 सरकार को सर्वोत्तम परफार्मेन्स के लिए बेस्ट परफार्मेन्स एवार्ड से सम्मानित।

(7) कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उ0प्र0 पहला राज्य बना।

(8) किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला उ0प्र0 देश का प्रथम राज्य। दुग्ध उत्पादन में उ0प्र0 देश में प्रथम।

(9) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उ0प्र0 का देश में लगातार प्रथम स्थान।

(10) प्रदेश के 1.47 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिये गये।

(11) उ0प्र0 गत दो वर्ष में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने में पूरे देश में अग्रणी।

(12) ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उ0प्र0 देश में प्रथम।

(13) मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उ0प्र0 प्रथम राज्य।

(14) कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उ0प्र0 प्रथम राज्य।

(15) ई-मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीददारी करने वाला उ0प्र0 देश का पहला राज्य बना।

(16) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सर्वाधिक आवास निर्माण में उ0प्र0 देश में प्रथम। पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित करने में देश में उ0प्र0 का प्रथम स्थान।

(17) राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य।

(18) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 101235.47 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान, जो एक रिकार्ड है।

(19) सड़क व हवाई कनेक्टीविटी में सर्वश्रेष्ठ।

(20) ईज आफ डूइंग बिजनेस में उ0प्र0 को एचीवर्स की श्रेणी में स्थान प्राप्त। सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं पारदर्शिता में उ0प्र0 अग्रणी राज्य।

(21) औद्योगीकरण के लिये भूमि उपलब्धता व आवंटन में उ0प्र0 शीर्ष 5 राज्यों में शामिल। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में प्रथम स्थान।

(22) उ0प्र0 देश का पहला राज्य है जिसे निर्भया फण्ड योजना के तहत चयनित किया गया है।

(23) परिवहन निगम को लाभ होने पर सर्वश्रेष्ठ प्राफिट मेकिंग एस0टी0यू0 का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त।

(24) भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उ0प्र0 को एस्पायरिंग लीडर के रुप में सम्मानित किया गया।

(25) वृक्षारोपण महाकुंभ के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 25.87 करोड़ पौधों का रोपण करते हुए बना रिकार्ड।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(26) उ0प्र0 तिलहन उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त।

(27) मैनुअल चालान व्यवस्था समाप्त कर ई-पेमेन्ट से जुर्माना भुगतान की सुविधा हेतु ई-चालान व्यवस्था लागू कर उ0प्र0 देश का पहला राज्य बना।

.....

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।